पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-09.08.2024

दिनांक 08/09.08.2024 को थाना पीजीआई 01,बिजनौर 01, गाजीपुर 01,गोमतीनगर 01, गोमतीनगर विस्तार 01अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में थाना कृष्णानगर 01,काकोरी 01,निगोहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त एवं एनबीडब्लू में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0/बी0एन0एस0

थाना मदेयगंज-दिनांक 09.08.2024 को थाना मदेयगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री मो0 रेहान खान पुत्र मो0 हन्नान खान निवासी 538ख/543 सीतापुर रोड बडी पकरिया के पास रुपपुर खदरा निरालानगर थाना मदेयगंज लखनऊ ने थाना मदेयगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 19.05.2024 को वादी का क्रेडिट कार्ड एक्टिव होने की जानकारी दी गयी जिसका विवरण 5256118837073295 है वादी का कार्ड जारी होने के बाद 40,000/- रुपये का दुरुपयोग होने की जानकारी वादी को एप्लीकेशन आर0बी0एल0 बैंक व व्हाट्सएप्प के माध्यम से हुयी । **इस सूचना पर थाना मदेयगंज पर मु0अ0सं0 118/2024 धारा 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना ठाकुरगंज-दिनांक 09.08.2024 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी फरीदापुर थाना सुरसा जनपद हरदोई हाल पता ग्राम भूहर थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि ग्राम भूहर थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ में मेरा मकान है जिसमे मेरी बहन ज्ञानवती रावत पत्नी श्री अखिलेश कुमार रावत रहते है। दिनांक 06.08.2024 को वादी की बहन ज्ञानवती अपने बच्चो के साथ सण्डीला गये थे। दिनांक 08.08.2024 को सुबह करीब 09.00 बजे अपने घर ग्राम भूहर थाना ठाकुरगंज लखनऊ वापस आये तो वादी के घर का मैन गेट टूटा हुआ था और अन्दर जाकर देखा तो घर पर रखे जेवरात व कैश चोरी हो गया । **इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0 361/2024 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।**

थाना मडियांव-दिनांक 09.08.2024 को थाना मडियांव द्वारा बताया गया कि वादी श्री वसीम खां पुत्र तौकिर खान निवासी डालीगंज खदरा त्रिवेणीनगर मदेयगंज लखनऊ ने थाना मडियांव पर सूचना दिया कि वादी की डिलीवरी कोरियर की शाखा 2/6 पी अलीगंज में स्थित है। दिनांक 05.08.2024 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उक्त शाखा का दरवाजा तोडकर डिलीवरी का सामान एक बैग में रखकर चोरी कर लिया गया । जिसकी कीमत 5000/- रुपये है । **इस सूचना पर थाना मडियांव पर मु0अ0सं0 477/2024 धारा 305/331(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना इन्दिरानगर</u>-दिनांक 09.08.2024 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री कपिल देव शर्मा पुत्र स्व0 कैलाश चन्द्र शर्मा निवासी 03/338 विवेकानन्द कालोनी शहीद भगत सिंह वार्ड तकरोही थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 03.08.2024 समय करीब 01.51 बजे वादी के मोबाइल पर मोबाइल नम्बर 8210925206 (दीपक शर्मा) से कॉल आया और मोबाइल नम्बर उपरोक्त धारक ने अपना परिचय आर0बी0एल0 बैंक से बोल रहा हूँ के रुप बताया और वादी को बताया कि वार्षिक कटौती अतिरिक्त कटौती सक्रिय है जिसकी मासिक कटौती 1950/- रुपये है और इस सेवा को बन्द करने के लिये वादी के व्हाट्सएप्प लिंक भेजा जिसको वादी को खोलने को कहा गया। वादी द्वारा लिंक खोलकर सभी सवाल के जवाब सही भर दिये गये पैसे कटना शुरु हो गया। जिससे तीन बार में क्रमशः 69598/-रुपये, 1339/- रुपये व 504/- रुपये कुल 71,441/- रुपये की कटौती कर ली गयी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा साइबर सेल हजरतगंज लखनऊ में शिकायत दर्ज करायी गयी। **इस सूचना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0 216/2024 धारा 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**